लालमटिया कोयला खानों में मजदूरों द्वारा भूख हड़ताल किया जाना

4054. डा० रामजी सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संताल परगना के महगामा थाने की लालमटिया कोयला खानों में पिछले महीने बहुत सारे मजदूरों ने भूख हड़ताल की थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या आठ कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् केवल एक ही खान को चालू रखा गया जिससे हजारों मजदूर बेरोजगार हो गये और उत्पादन क्षमता नष्ट हो गई;

(ग) क्या भाड़े पर लिये गये ट्रकों को लालमटिया खानों से लदान के लिए दो-दो दिन प्रतीक्षा करनी पडती है और जो रिश्वत देते हैं उनका माल पहले लादा जाता है;

(घ) क्या सरकार को पता है कि लालमटिया ग्रुप की कोयला खानों से कोले की ढुलाई के लिए पहले बैल-गाड़ियों का उपयोग किया जाता था जिससे स्थानीय गरीब लोगों को रोजगार मिलता था और यदि हां, तो इस व्यवस्था को समाप्त किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इसी व्यवस्था को पुन: लागू करने का है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) लालमटिया कोयला खान के प्रबंधक के कार्यालय में 10 से 15 की टोलियों से सामूहिक धरना भूख हड़ताल की गई थी। उन की मांग मौसमी कामगारों को स्थायी कर देने की थी। यह मामला सहायक श्रम आयुक्त (सी) पटना को भेज दिया गया था जिसके फलस्वरूप तारीख 3-6-77 से धरना समाप्त कर दिया गया था।

(ख) राष्ट्रीयकरण के समय कुछ बन्द एककों सहित, इस क्षेत्र की केवल छ: खानों को ग्रहण किया गया था। विभिन्न कारणों से जिनमें सुरक्षा का ध्यान भी है, केवल एक खान में उत्पादन किया गया जो इस क्षेत्र की कोयले की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। इन छ: खानों के सभी ग्रहीत नियमित कामगारों को खपा लिया गया था।

(ग) यह कहना सही नहीं है कि ट्रकों को माल भरने के लिए दो-दो दिन तक इंतजार करना पड़ता है। लालमटिया में ट्रकों को भरने के लिए कम्पनी द्वारा "पहले आओ पहले भरो" के आधार पर क्यू प्रणाली अपनाई जा रही है। ट्रक ड्राइवरों को हमेशा यह सलाह दी जाती रही है कि यदि उन्हें कोई असुविधा हो तो उसकी शिकायत दर्ज करें। प्रबंधकों को अभी तक कोई गंभीर शिकायत नहीं मिली है। प्रबंधक एक किताब रख रहे हैं जिसमें आने वाले ट्रकों को अपना नम्बर लिखना होता है तथा ड्राइवरों को आते समय तथा जाते समय अपने हस्ताक्षर करने पडते हैं।

(घ) और (ङ). लालमटिया कोयला खान में बैलगाड़ियों द्वारा कोयले की ढुलाई जाड़े और सूखे मौसम में की जाती है। यह प्रथा बन्द नहीं की गई है। यह ग्राहक पर निर्भर करता है कि वह बैलगाड़ी द्वारा माल ले जाना पसन्द करे अथवा ट्रक से। फिर भी लदान के लिए ट्रकों को इसलिए तरजीह दी जाती है कि वे दूर से आते हैं तथा उनको प्रतीक्षा महंगी पड़ती है।

Deletion of 'Mochi' from Scheduled Castes List

4055. SHRI AHSAN JAFRI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any representation has been made by Gujarat Government regarding the Gazette dated the 20th

September, 1976 by the Law Ministry, in respect of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976 (Act No. 108 of 1976) wherein in Schedule 4 under the heading Gujarat, item No. 4, "Mochi" community has been included as Scheduled Caste. in order to modify and get "Mochi" community removed from the list, if so, the facts thereof;

(b) whether Central Government know that the Director, Social Welfare Department Gujarat State has asked all the departments of Gujarat State not to implement the said Act in the State as far as "Mochi" community is concerned; and

(c) so, the action taken in the matter?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHANRAN SINGH): (a) The Gujarat Government in their letter dated the 11th May, 1977 had proposed that the area restriction for Mochi community in relation to the Dangs district and Umargao taluka of Bulsar district should be restored and that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976 may be amended to this effect.

(b) and (c). The Gujarat Government have reported that the Directors of Social Welfare had instructed the concerned authorities not to issue caste certificates to the members of Mochi community till the Act is brought into force. However, the State Government have subsequently cancelled the instructions of the Director so far as it relates to this community.

Ex-Servicemen in Himachal Pradesh

4056. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) what is the number of ex-servicemen in each district in Himachal Pradesh;

(b) what is the number who have so far been rehabilitated and what are the details for their rehabilitation; and

(c) what steps are being taken to rehabilitate all the ex-servicemen in Himachal Pradesh?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) to (c). The number of ex-servicemen in Himachal Pradesh and the number of them placed in employment during the periods 1973—76, district-wise, is as follows:—

Name of the District	No. of Ex-Servicemen	No. of ex-servicemen placed in employment during the period 1973—76
Kangra	23,052	523
Hamirpur	12,788	148
UNA	7,251	190
Mandi	8,805	377
Chamba	5,265	102
Simla	3,929	148
Sirmur	4,095	147
Bilaspur	2,586	59
Kulu	881	58
Solan	2,506	113
Lahaul Spiti	512	11
Kinnaur	189	15

(Note.—Figures relating to number of ex-servicemen rehabilitated in these districts through self-employment and other rehabilitation measures (such as engagement in agro-industries, agro-service centres, taking up agencies for fertilisers, cement tea, textiles etc. and in small scale industries as well as transport companies) are not available.)